2005:CGHC:1762

प्रकाशन हेतु

अनुमोदित

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

## (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक : 3645 / 2005

याचिकाकर्ता : धर्मेन्द्र जैन पिता खेमचंद जैन, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी कंपटी लाईन, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)।

बनाम्

उत्तरवादीगण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा— सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर।

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, द्वारा— रजिस्ट्रार जनरल, बिलासपुर (छ.ग.)।

3. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परमादेश रिट (Mandamus), उत्प्रेषण रिट (Certiorari) अथवा अन्य कोई उपर्युक्त रिट तथा निर्देश जारी करने हेतु, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका

**2005:CGHC:1762**
प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

## रिट याचिका क्रं. 3645/ 2005

धर्मेन्द्र जैन

बनाम्

छत्तीसगढ राज्य व अन्य

**आदेश हेतु दिनांक 19 सितम्बर 2005 को नियत**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

2005:CGHC:1762

प्रकाशन हेतु

अनुमोदित

**उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर**

**एकल पीठ : सतीश के. अग्नीहोत्री न्यायाधीश**

**रिट याचिका क्रं. 3645/ 2005**

धर्मेन्द्र जैन

बनाम्

छत्तीसगढ राज्य व अन्य

---

याचिकाकर्ता के लिए – श्री कनक तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री जितेन्द्र पाली, अधिवक्ता।

छत्तीसगढ राज्य/ उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए – श्री विवेक शर्मा, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए – श्री संजय के. अग्रवाल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3 के लिए – श्री वाई. सी. शर्मा अधिवक्ता।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**आदेश**

**(दिनांक 19 सितम्बर, 2005)**

1. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 21.07.2005 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर – उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित संव्यवहार / निर्णय (अनुलग्नक पी–4) को आक्षेपित किया गया है, जिसके

2005:CGHC:1762 प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

द्वारा याचिकाकर्ता को प्रथम उत्तरपुस्तिका में पहचान चिह्न अंकित किए जाने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन क्रमांक 02/2004/परीक्षा दिनांक 19.08.2004 के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश वर्ग– दो के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा, 2004 में आवेदन किया था। उक्त विज्ञापन के खंड 12(घ) में अनुक्रमांक और/या नाम को, निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र लिखना निषिद्ध किया गया था जैसे कि इसे पहचान चिह्न माना जाएगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया था कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की परीक्षा की उम्मीदवारी, उसे बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जाएगी। न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा, 2004 के प्रवेश पत्र में दिशा–निर्देश के खंड 3 में यह और अधिक स्पष्ट किया गया था कि यदि उत्तरपुस्तिका में नाम अथवा अनुक्रमांक को निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र लिखा गया अथवा किसी अन्य रंग से लेखन किया गया (नीली या काली स्याही के डॉट पेन को छोड़कर) या कोई दस्तावेज संलग्न किया गया, तो उसे पहचान चिह्न माना जाएगा और अभ्यर्थी का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। दिशा–निर्देश के खंड 4 – "पहचान चिह्न" – उत्तरपुस्तिका के दूसरे पृष्ठ में उल्लेखित थी, जिसमें यह उल्लेखित था कि परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक अंकित करेगा। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका में किसी अन्य स्थान पर अपना अनुक्रमांक, नाम अथवा ऐसा कोई विवरण जिससे उसकी पहचान हो सके, नहीं लिखेगा। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका के साथ कोई अन्य सामग्री संलग्न नहीं करेगा और केवल नीले या काले डॉट पेन का ही प्रयोग करेगा और किसी अन्य पेन या स्याही का प्रयोग नहीं करेगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2005:CGHC:1762 प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

याचिकाकर्ता को दिनांक 21.07.2005 का संव्यवहार/निर्णय (अनुलग्नक पी–4) प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रवेश–पत्र के खंड 3, उत्तरपुस्तिका के खंड 4 तथा विज्ञापन के खंड 12(घ) का उल्लंघन करते हुए पहचान चिह्न अंकित किया गया है। अतः याचिकाकर्ता को न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा, 2004 हेतु अयोग्य घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.07.2005 को अपना जवाब (अनुलग्नक पी–5) प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त संव्यवहार / निर्णय के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी।

3. याचिकाकर्ता ने उक्त निर्णय से आहत होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि दिनांक 21.07.2005 का संव्यवहार/निर्णय (अनुलग्नक पी–4) निरस्त किया जाए तथा उत्तरवादीगण को यह निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन करें एवं उसका परिणाम घोषित करें। उत्तरवादीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क किया है कि याचिकाकर्ता ने न केवल उपर्युक्त संव्यवहार /निर्णय दिनांक 21.07.2005 में उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन किया, अपितु उत्तर पुस्तिका में वर्णित दिशा–निर्देश के खंड 3 का भी उल्लंघन किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि परीक्षार्थी केवल निर्दिष्ट स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक अंकित करेगा तथा केवल अंतिम पृष्ठ, अर्थात पृष्ठ संख्या 24 पर ही रफ कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, कुछ भी और लिखना अथवा प्रश्नपत्र की नकल करना दंडनीय है। उत्तरवादीगण ने तर्क किया है कि याचिकाकर्ता ने अंतिम रफ पृष्ठ पर धार्मिक शब्द लिखकर उत्तरपुस्तिका के खंड 3 का उल्लंघन किया है, अतः याचिकाकर्ता को उचित ही अयोग्य घोषित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2005:CGHC:1762 प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

4. श्री कनक तिवारी, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जितेन्द्र पाली, विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए और यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.07.2005 के संव्यवहार/निर्णय में जैसा कि उल्लिखित है किसी भी खंड का उल्लंघन नहीं किया है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरपुस्तिका के अंतिम पृष्ठ, जिसे "रफ कार्य" शीर्षक दिया गया है, पर "ॐ गणेशाय नमः ॐ सरस्वतीमाताय नमः ॐ पार्श्वनाथाय नमः" जैसे धार्मिक वाक्य लिखे जाने से उत्तरपुस्तिका के निर्देश 3 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में व्यक्त किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया है कि याचिकाकर्ता ने अपना अनुक्रमांक, नाम अथवा पता केवल निर्दिष्ट स्थान पर ही लिखा था, किसी अन्य स्थान पर नहीं। याचिकाकर्ता ने उत्तरपुस्तिका के साथ कोई ऐसी सामग्री संलग्न नहीं की जो पहचान चिह्न के रूप में मानी जा सके। अंतिम पृष्ठ, जो मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त नहीं होता, पर ईश्वर का नाम लेखन याचिकाकर्ता की धार्मिक भावना थी, न कि कोई पहचान चिह्न अंकित करने का उद्देश्य। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि यदि मान भी लिया जाए कि यह एक स्वाभाविक त्रुटि थी लेकिन यह पहचान चिह्न की श्रेणी में नहीं आता। यदि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है तथा उसे न्यायिक सेवा परीक्षा, 2004 से अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी, अतः जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार की जानी चाहिए और उत्तरवादीगण को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करें तथा यदि वह योग्य पाया जाए तो उसे साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होने दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2005:CGHC:1762 प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

5. श्री वाई.सी. शर्मा, उत्तरवादी क्रमांक 3 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरपुस्तिका में पहचान चिह्न अंकित कर विज्ञापन, प्रवेश–पत्र तथा उत्तरपुस्तिका में स्पष्ट रूप से उल्लिखित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। विज्ञापन, प्रवेश–पत्र एवं उत्तरपुस्तिका में दिए गए दिशा–निर्देश केवल दृष्टांतात्मक हैं, सीमित या पूर्ण नहीं हैं। यहां तक कि ईश्वर का नाम लिखना भी पहचान चिह्न की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरवादी क्रमांक 3 पर कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सार्वजनिक हित में परीक्षा आयोजित करने हेतु की उम्मीदवारी को निरस्त कर उसे अयोग्य घोषित किया। याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर ऐसा चिह्न अंकित किया गया जो निषिद्ध है तथा जिसे पहचान चिह्न माना जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री संजय के. अग्रवाल, उत्तरवादी क्रमांक 2 – उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत तर्क न्यायोचित एवं विधिसम्मत है, तथा इसमें माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. राज्य छत्तीसगढ़ की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा ने अन्य उत तरवादीगण के तर्कों का समर्थन किया है।

8. मैंने प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आक्षेपित संव्यवहार/निर्णय दिनांक 21.07.2005 से पूर्व के अभिलेखों पर की गई संपूर्ण कार्यवाही एवं मूल उत्तरपुस्तिका का अवलोकन किया, दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरपुस्तिका के अंतिम पृष्ठ अर्थात पृष्ठ क्रमांक 24 के "रफ कार्य" शीर्षक के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा "ॐ गणेशाय नमः ॐ सरस्वतीमाताय नमः ॐ पार्श्वनाथाय नमः" लिखा गया है। दिशा–निर्देशों में यह स्पष्ट था

कि रफ कार्य हेतु प्रयुक्त पृष्ठ के उपरांत क्रॉस (×) चिह्न अंकित किया जाए, किंतु प्रार्थी द्वारा केवल एक रेखा खींची गई, क्रॉस चिह्न नहीं लगाया गया था। आगे कार्यवाही का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उत्तरपुस्तिका के अंतिम पृष्ठ जो कि पृष्ठ संख्या 24 है, पर धार्मिक वाक्य लिखकर प्रार्थी ने उत्तरपुस्तिका में उल्लिखित दिशा–निर्देशों/निर्देशों का उल्लंघन किया है।

9. विज्ञापन का खंड 12(घ) इस प्रकार है:

''(घ) पहचान चिन्ह–

उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीद्वार उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक एवं / या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदकों को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उनकी उम्मीद्वारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**प्रवेश पत्र का खंड 3 इस प्रकार है –**

'' तीन – पहचान चिन्ह –

उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक न अपना नाम और न ही पता अंकित करें जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तरपुस्तिका के साथ अन्य कोई सामाग्री संलग्न करना वर्जित है, यह पहचान चिन्ह बनाना माना जाएगा

केवल नीली अथवा काली स्याही का पेन या डॉट पेन उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य रंग वर्जित माने जायेंगे। पहचान चिन्ह अंकित करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जावेगी।''

**उत्तरपुस्तिका के खंड 3 तथा 4 इस प्रकार है कि –**

''3. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र तथा उत्तरपुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त कुछ भी लिखना प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है। कृप्या रफ कार्य करने के बाद उक्त पृष्ठ को (X) क्रास कर दें।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''4. पहचान चिन्ह – उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक न अपना नाम और न ही पता अंकित करें जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामाग्री संलग्न करना वर्जित है। यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा केवल नीली अथवा काली स्याही का पेन या डॉट पेन उपयोग में लाया जा सकता है अन्य रंग वर्जित माने जायेंगे। पहचान चिन्ह अंकित करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जावेगी।''

विज्ञापन, प्रवेश–पत्र एवं उत्तरपुस्तिका में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी पृष्ठ, जिसमें रफ पृष्ठ भी सम्मिलित है, पर कोई भी लेखन करना निषिद्ध तथा दंडनीय है। उत्तरपुस्तिका में परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों के खंड 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी पृष्ठ पर अतिरिक्त शब्दों का

2005:CGHC:1762 प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

लेखन, अनुचित साधनों के उपयोग के तुल्य माना जाएगा एवं उक्त कृत्य दंडनीय होगा, जिसमें परिणाम का निरस्तीकरण एवं उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाना भी सम्मिलित है।

**10.** उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत (1992) 2 एस.सी.सी. 206 में प्रकाशित न्यायदृष्टांत *कर्नाटक लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम बी.एम. विजय शंकर एवं अन्य,* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया है कि –

"3. इस प्रकार के निर्देश परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाते हैं। समाज में ईमानदारी एवं नैतिकता के तीव्र पतन को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा यह आग्रह कि परीक्षार्थी द्वारा कहीं भी अपना अनुक्रमांक न लिखा जाए, व्यापक जनहित में है। यह सर्वविदित है कि उत्तरपुस्तिका का प्रथम पृष्ठ, जिसमें अनुक्रमांक अंकित होता है, हटा दिया जाता है एवं एक काल्पनिक कोड संख्या प्रदान की जाती है ताकि परीक्षक तक किसी भी प्रकार की पहुँच का प्रयास विफल हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिसने अनुक्रमांक लिखा है, उसने परीक्षक से संपर्क किया हो; यह एक स्वाभाविक त्रुटि भी हो सकती है। किन्तु यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। निर्देशों का उद्देश्य संभावित दुरुपयोग की संभावना को न्यूनतम करना था। व्यापक जनहित की मांग है कि निर्देशों का पालन किया जाए न कि उल्लंघन।

4. क्या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ? प्राकृतिक न्याय एक ऐसा सिद्धांत है जो मनमानी कार्रवाई को सीमित करने में तथा विधि के शासन को बनाये रखने में सफल रहा है। यद्यपि इसका अनुपालन अत्यंत कठोरता से किया जाना चाहिए, तथापि यह निष्कर्षों की निष्पक्षता पर आधारित होता है। न्यायालयों ने ऐसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2005:CGHC:1762 प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

स्थितियों में इसके विस्तार को सीमित रखा है जहाँ यह न्याय से अधिक अन्याय उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि सुनवाई प्रदान करने की प्रक्रिया, निर्णय के गुण-दोष के समान ही महत्त्वपूर्ण होती है, तथापि प्रकरण की तात्कालिकता अथवा जनहित, परिस्थितियों एवं विषयवस्तु की प्रकृति को देखते हुए, कभी-कभी नियम के अनुप्रयोग में लचीलापन आवश्यक बन जाता है, जिससे न्याय के हित में यह अधिक उपयुक्त हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति को पूर्व सुनवाई का अवसर न देकर, आदेश को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने की अनुमति प्रदान की जाए — न कि इस आधार पर कि सुनवाई नहीं दी गई थी, जिससे निर्दोषिता या सद्भाव स्थापित की जा सके, अपितु इस आधार पर कि आदेश मनमाना है या नियमों के प्रतिकूल है। वर्तमान प्रकरण उन श्रेणियों में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है, जहाँ किसी कार्रवाई से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया, क्योंकि यह प्रकरण न तो किसी दुराचार से संबंधित था और न ही इसमें कोई दंड सम्मिलित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रतियोगी परीक्षाएं आयोग द्वारा अत्यंत गोपनीयता एवं निष्पक्षता से आयोजित की जानी चाहिए, ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन सुनिश्चित हो सके। जनहित की दृष्टि से इसमें कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसका कोई उल्लंघन हो तो कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। ऐसी कार्यवाहियों में, जहाँ कोई विशेष हित प्रभावित नहीं होता एवं तात्कालिक कार्रवाई अपेक्षित होती है, पूर्व सुनवाई की अपेक्षा नहीं होती—यह प्राकृतिक न्याय का एक स्वीकृत अपवाद है।

2005:CGHC:1762 प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

11. उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत (2004) 2 एस.सी.सी. 267 में प्रकाशित न्यायदृष्टांत *एम.टी. खान एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य*, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि:

"xxx xxx xxx. अब यह विधि का पूर्णतः स्थापित सिद्धांत है कि किसी विधिक उपबंध का उल्लेख किया जाना अथवा उसका त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया जाना, आदेश को अनिवार्य नहीं बनाता, तब जब यह पाया जाता है कि इस हेतु शक्ति वास्तव में अस्तित्व में थी।''

12. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुना एवं उत्तरपुस्तिका सहित संपूर्ण अभिलेखों, तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के निर्णय का अवलोकन किया। मेरे मतानुसार यह तथ्य विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरपुस्तिका के अंतिम पृष्ठ, जो "रफ कार्य" के शीर्षक से चिह्नित था, पर उपर्युक्त धार्मिक वाक्य लिखे गए जो कि निषिद्ध एवं अवैध साधनों के उपयोग की श्रेणी में आते हैं। यह विज्ञापन, प्रवेश–पत्र एवं उत्तरपुस्तिका में समय–समय पर प्रदत्त दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। दिनांक 21.07.2005 का संव्यवहार/निर्णय केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा संव्यवहार/निर्णय में उत्तरपुस्तिका में उल्लिखित खंड 3 अथवा खंड 5 के उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया। उत्तरपुस्तिका में अतिरिक्त शब्दों का लेखन—जैसे कि धार्मिक वाक्य, वर्तमान प्रकरण में—स्पष्ट रूप से दिशा–निर्देशों के खंड 3 के अंतर्गत निषिद्ध है। वर्तमान प्रकरण में की गई कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता और न ही इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन पाया गया है, क्योंकि यदि पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो चयन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाया गया अनुचित साधन अभिलेख में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**13**. वर्तमान प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं अत्यंत गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ जन हित में आयोजित की जानी चाहिए, जिससे उसमें जनसामान्य का विश्वास बना रहे। याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकारोक्त रूप से उत्तरपुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर धार्मिक वाक्य लेखन कर पहचान चिह्न अंकित किया गया है, जो न केवल अवैध साधनों के श्रेणी में आता है।

**14.** उपर्युक्त कारणों के परिप्रेक्ष्य में, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-
सतीश के. अग्नीहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By — श्रीमती रेशमा कुजूर